न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–53 / 2019

हिरामनी सिंह वगैरह ....वादीगण

बनाम

राम प्रवेश राय वगैरह..प्रतिवादीगण

आदेश

05.07.22 पुकार पर वादी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी की ओर से एक प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–10.06.2022 पर विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

अपने आवेदन में वादीगण का निवेदन है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–1 राम प्रवेश राय का देहांत दिनांक–19.09.2021 को हो गया है जिन्होंने अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी तथा पुत्र एवं पुत्रियों को छोड़ गए है तथा जिनका नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। चूँकि वादी बाहर कलकत्ता में रहता है जिस वजह से प्रतिवादी सं0–1 की मृत्यु की जानकारी सही समय पर नहीं हो पाया था एवं वादी दिनांक–17.05.2022 को घर आने के बाद जानकारी हुई। जानकारी होने के बाद समय–सीमा के अंदर प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया गया। अतः न्यायहित में मृत प्रतिवादी सं0–1 के स्थान पर उनके वारिसान का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए। प्रतिवादी की ओर से कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और ना ही कोई प्रत्युत्तर दाखिल किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में कोई प्रतिवादी उपस्थित नहीं है एवं अभिलेख प्रकाशन पर कार्रवाई हेतु लंबित है। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है एवं परिसीमा का आवेदन भी साथ संलग्न है एवं उनकी उपस्थिति वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक है। अतः वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय तद्नुसार मृत प्रतिवादी सं0–1 के स्थान पर उनके वारिसान का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करें एवं वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षिताएं दाखिल करें।

दिनांक– 16-08-2022 वास्ते करने दाखिल सम्मन की अपेक्षिताएं।

अवर न्यायाधीश
शाहपुर पटोरी